इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 482] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2021—अग्रहायण 18, शक 1943

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2021

क्र. एफ–73 (I)–2021–बी–2–दो.– पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विद्यमान पुलिस जिलों इंदौर पूर्व और इंदौर पश्चिम को पुनर्गठित करते हुए पुलिस अधिनियम, 1861 के प्रयोजनों के लिए नीचे दी गई अनुसूची में यथाउल्लिखित निम्नलिखित पुलिस थानों से सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारिता के साथ दो पुलिस जिलों अर्थात्: इंदौर नगरीय और इंदौर देहात का गठन करते हैं.

अनुसूची

क्र.	पुलिस जिले का नाम	पुलिस थाने का नाम	पुलिस प्रशासन का प्रमुख
1.	इंदौर नगरीय	1. कोतवाली 2. एम.जी.रोड 3. तुकोगंज 4. संयोगितागंज 5. छोटी ग्वालटोली 6. पलासिया 7. विजय नगर 8. एम.आई.जी. 9. लसूड़िया 10. खजराना 11. कनाडिया 12. तिलक नगर 13. परदेशीपुरा 14. हीरा नगर 15. आजाद नगर 16. तेजाजी नगर 17. राउ 18. बाणगंगा 19. जूनी इंदौर 20. रावजी बाजार 21. भंवरकुआ 22. सराफा 23. पंढरीनाथ 24. छत्रीपुरा 25. मल्हारगंज 26. सदर बाजार 27. एरोड्रम 28. अन्नपूर्णा 29. राजेन्द्र नगर 30. द्वारिकापुरी 31. चंदन नगर 32. गांधी नगर 33. महिला 34. अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण 35. यातायात 36. अपराध	पुलिस अधीक्षक, इंदौर नगरीय पुलिस जिला
2.	इंदौर देहात (Indore Rural)	1. महू 2. मानपुर 3. किशनगंज 4. बड़गोंदा 5. सिमरोल 6. खुडैल 7. सांवेर 8. चंद्रावतीगंज 9. हातौद 10. देपालपुर 11. गौतमपुरा 12. बेटमा 13. क्षिप्रा	पुलिस अधीक्षक, इंदौर देहात पुलिस जिला

2. यह अधिसूचना 09.12.2021 से प्रवृत्त होगी।

No.F-73(I)/2021/B-2/Two In exercise of the powers conferred by section 2 of the Police Act, 1861 (5 of 1861), the State Government, hereby, constitutes two police districts namely Indore Urban and Indore Rural by reconstituting the existing Police districts, namely, Indore Urban and Indore rural by reconstituting the existing police districts of Indore East and Indore West having respective territorial jurisdictions as mentioned in the Schedule given below for the purposes of the said Act, namely :-

SCHEDULE

S. No.	Name of Police District	Name of Police Stations		Head of the Police administration
1.	Indore Urban	1. Kotwali 2. M.G.Road 3. Tukoganj 4. Sanyogitaganj 5. Chhoti Gwaltoli 6. Palasia 7. Vijay Nagar 8. M.I.G. 9. Lasudiya 10. Khajrana 11. Kanadia 12. Tilak Nagar 13. Pardeshipura 14. Heera Nagar 15. Azad Nagar, 16. Tejaji Nagar 17. Rau 18. Banganga	19. Juni Indore 20. Raoji Bazar 21. Bhanvarkua 22. Sarafa 23. Pandrinath 24. Chhatripura 25. Malharganj 26. Sadar Bazar 27. Aerodrome 28. Annapurna 29. Rajendra Nagar 30. Dwarkapuri 31. Chandan Nagar 32. Gandhi Nagar, 33. Mahila 34. AJK 35. Traffic 36. Crime	Superintendent of Police Indore Urban Police District
2.	Indore Rural	1. Mhow 2. Manpur 3. Kishanganj 4. Badgonda 5. Simrol 6. Khudel 7. Sanver	8. Chandravatiganj 9. Hatod 10.Depalpur 11.Goutampura 12.Betma 13.Kshipra	Superintendent of Police Indore Rural Police District

2. This notification shall come into force with effect from 9th day of December, 2021

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश राजोरा, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2021

क्रमांक- एफ-73(II)/2021/बी-2/दो,यतः, राज्य सरकार ने 36 (छत्तीस) थानों में पड़ रहे राज्यीय क्षेत्रों तथा सीमाओं को समाविष्ट करते हुए इंदौर नगरीय पुलिस जिले का गठन किया है जैसा कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-73(I)/2021/बी-2/दो दिनांक 9 दिसम्बर, 2021 की अनुसूची में पूर्णतः वर्णित है;

2. और यतः इंदौर नगरीय पुलिस जिला में उपर्युक्त पुलिस थानों के उपर्युक्त क्षेत्रों एवं सीमाओं जैसा कि उक्त अधिसूचना की अनुसूची में पूर्णतः वर्णित है, एक नगरीय क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या 21,93,664 (जनगणना 2011) है, जो 10 लाख से अधिक है;

3. अतएव, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 8 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों को इंदौर नगरीय पुलिस जिले के पुलिस आयुक्त के गठन के प्रयोजन के लिये मेट्रोपोलिटन क्षेत्र घोषित करती है।

4. यह अधिसूचना माह दिसम्बर 2021 के नौंवे दिन से प्रवृत्त होगी।

No.F-73(II)/2021/B-2/Two Whereas, the State Government has constituted Indore Urban Police District comprising the territorial areas and boundaries falling within 36 Police Stations as fully described in the Schedule of this Department's Notification **No.F-73(I)/2021/B-2/Two** dated 9.12.2021.;

2. And whereas, the said areas and boundaries of the said Police Stations in the Indore Urban Police District as fully described in the said Schedule of the said notification being a town area having a population of 21,93,664 (census 2011), which exceeds one million;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the State Government, hereby, declares the areas described in the Schedule of the said notification to be a metropolitan area for the purpose of constitution of Police Commissionerate in Indore Urban Police District.

4. This notification shall come into force from 9th day of December, 2021

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश राजोरा, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2021

क्रमांक-एफ-73(III)/2021/बी-2/दो,यतः, राज्य सरकार ने इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-73(I)/2021/बी-2/दो, दिनांक 09.12.2021 की अनूसूची में पूर्णतः वर्णित क्षेत्रों एवं सीमाओं को समाविष्ट करते हुए, ऐसी सीमाओं के अन्दर प्रभावी पुलिस के कामकाज हेतु, इंदौर नगरीय पुलिस जिले का गठन किया है;

और यतः राज्य सरकार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 8 की उपधारा (1) के प्रयोजन हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-73(II)/2021/बी-2/दो, दिनांक 9दिसम्बर, 2021 अनुसार उपर्युक्त क्षेत्रों एवं सीमाओं को मेट्रोपोलिटन क्षेत्र भी घोषित किया है;

और यतः यह समीचीन समझा गया है कि उपर्युक्त मेट्रोपोलिटन क्षेत्र जैसा कि घोषित किया गया है, में ऐसी पुलिस प्रणाली को स्थापित किया जाये जो कि लोक व्यवस्था, अपराध तथा आंतरिक सुरक्षा की जटिल समस्याओं को अधिक व्यापक रूप से प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो;

और यतः उपर्युक्त उद्देश्य एवं प्रयोजन के अनुरूप, आगे यह समीचीन समझा गया है कि इंदौर के मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में पुलिस का प्रशासन पुलिस आयुक्त इंदौर नगरीय अभिनामित अधिकारी, पुलिस अधिनियम 1861 (1861 का 5) की शक्तियों एवं प्राधिकारों के साथ इंदौर के पूरे उपर्युक्त मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में एक पदाभिहित अधिकारी में निहित किया जाये;

अतएव, पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) की धारा (2) में निमित्त प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इंदौर नगरीय पुलिस ज़िले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय को पुलिस आयुक्त इंदौर नगरीय कार्यालय के रूप में निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित अधिकारियों के साथ, पुनः–पदाभिहित करती है और उपर्युक्त पुलिस आयुक्त इंदौर नगरीय में पुलिस अधिनियम, 1861 अथवा अन्य किसी भी अधिनियम अन्तर्गत, पुलिस आयुक्त की शक्तियों एवं प्राधिकारों को, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक तथा महानिरीक्षक के सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण अधीन, निहित करती है;

और आगे, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के सम्बन्ध में, इंदौर नगरीय के पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां और धारा 20 की उप–धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसे संहिता की धारा 58, 106 से 124, 129 से 132 धारा 144 तथा 144क के अधीन शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करती है;

और इसके अतिरिक्त, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, इन्दौर नगरीय पुलिस ज़िले में पदस्थ पुलिस उपायुक्तों एवं पुलिस सहायक आयुक्तों को उनके अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है और आगामी आदेश तक उनको संहिता की धारा 58, धारा 106 से 124, धारा 129 से 132, धारा 144 तथा धारा 144क के अन्तर्गत शक्तियाँ एवं कृत्य प्रदान करती है।

अनुसूची
इंदौर नगरीय पुलिस ज़िले के लिए राजपत्रित अधिकारियों के पद

क्र.	पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	विवरण	पद संख्या
1.	पुलिस आयुक्त	पुलिस महा निरीक्षक	केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-14 (रु.1,44,200-2,18,200)	ज़िले का पुलिस प्रमुख	1
2.	अतिरिक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस उप महा निरीक्षक	केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-13A (रु.1,31,100-2,16,600)	क़ानून और व्यवस्था	1
3.	अतिरिक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस उप महा निरीक्षक	केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-13A (रु.1,31,100-2,16,600)	अपराध व मुख्यालय	1
4.	पुलिस उपायुक्त	पुलिस अधीक्षक	केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (रु.78,800-2,09,200)	ज़ोन	4
				यातायात	1
				अपराध	1
				मुख्यालय	1
				आसूचना व सुरक्षा	1
				योग	8
5.	अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (रु. 78,800-2,09,200)	स्टाफ़ अधिकारी	1
				ज़ोन	4
				यातायात	2
				अपराध	1
				मुख्यालय	1
				आसूचना	1
				सुरक्षा	1
				अजाक व महिला अपराध	1
				योग	12
6.	सहायक पुलिस आयुक्त	पुलिस उप अधीक्षक	राज्य वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (रु. 56,100-1,77,500)	ज़ोन	12
				यातायात	4
				अपराध	1
				सायबर	1
				मानववध	1
				सम्पत्ति व आर्थिक अपराध	1
				पुलिस लाइन	1
				मुख्यालय व प्रशिक्षण	1
				डाटा विश्लेषण	1
				न्यायालयीन	2
				आसूचना	1
				सुरक्षा	2
				अजाक व महिला अपराध	2
				योग	30
7.	सहायक रेडियो अधिकारी	पुलिस उप अधीक्षक (रेडियो)	राज्य वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (रु. 56,100-1,77,500)	मुख्यालय	1

2. जोन के अधिकारियों का अधिक्रम एवं अधिकारिता दी गई सारणी अनुसार होगी:-

सारणी

जोन	पद	पद	पद	थाना
1	पुलिस उपायुक्त जोन 1	अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 1	सहायक पुलिस आयुक्त मल्हारगंज	मल्हारगंज
				सदर बाजार
				ऐरोड्रम
			सहायक पुलिस आयुक्त आजाद नगर	आजाद नगर
				तेजाजी नगर
			सहायक पुलिस आयुक्त गांधी नगर	गांधी नगर
				राउ
				राजेन्द्र नगर
2	पुलिस उपायुक्त जोन 2	अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 2	सहायक पुलिस आयुक्त परदेशीपुरा	परदेशीपुरा
				एम आई जी
			सहायक पुलिस आयुक्त विजयनगर	विजयनगर
				लसूड़िया
			सहायक पुलिस आयुक्त खजराना	खजराना
				कनाडिया
				तिलक नगर
3	पुलिस उपायुक्त जोन 3	अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 3	सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली	कोतवाली
				एम जी रोड
				तुकोगंज
			सहायक पुलिस आयुक्त संयोगितागंज	संयोगितागंज
				पलासिया
				छोटी ग्वालटोली
			सहायक पुलिस आयुक्त हीरा नगर	हीरा नगर
				बाणगंगा
4	पुलिस उपायुक्त जोन 4	अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 4	सहायक पुलिस आयुक्त जूनी इंदौर	जूनी इंदौर
				रावजी बाजार
				भँवरकुआ
			सहायक पुलिस आयुक्त अन्नपूर्णा	अन्नपूर्णा
				चंदन नगर
				द्वारकापुरी
			सहायक पुलिस आयुक्त सराफा	सराफा
				पंडरीनाथ
				छत्री पुरा

3. यह अधिसूचना दिनांक 9 दिसम्बर, 2021 से प्रवृत्त होगी।

No.F-73(III)/2021/B-2/Two Whereas the State Government has constituted Indore Urban Police District consisting of the areas and boundaries fully described in the Schedule of this Department's notification **No.F-73(I)/2021/B-2/Two** dated 9.12.2021 for effective working of the police within the limits so constituted;

And Whereas, the State Government has also declared the said areas and boundaries to be a metropolitan area for the purposes of the sub-section (1) of section 8 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) vide this Department's notification **No.F-73(II)/2021/B-2/Two** dated 9.12.2021;

And Whereas, it is felt expedient to establish such a police system in the said metropolitan area so declared which is capable of responding to the complex problems of public order, crime and internal security in a more comprehensive way;

And Whereas, in consonance with the said objective and purpose, further it is felt expedient to vest the administration of police in metropolitan area of Indore in an officer to be styled the Commissioner of Police, Indore Urban, a designated officer with the powers and authorities throughout the said metropolitan area of Indore under the Police Act, 1861 (5 of 1861);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the Police Act, 1861 (5 of 1861), the State Government, hereby, re-designates the office of Superintendent of Police of Indore Urban Police District, as office of the Commissioner of Police, Indore Urban with the officers mentioned in the Schedule below and vests in the said Commissioner of Police, Indore Urban, the powers and authorities of the Commissioner of Police under the Police Act, 1861 or under any other Act, under the general control and supervision of the Director General and Inspector General of Police, Madhya Pradesh;

And further, in exercise of the powers conferred by section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the State Government, hereby, confers the powers of the Executive Magistrate on the Commissioner of Police Indore Urban in relation to that metropolitan area and in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 20 further appoints him as Additional District Magistrates to exercise powers and functions under Section 58, 106 to 124, section 129 to 132, section 144 and 144A of the Code;

And further, in exercise of powers conferred by section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the State Government, hereby, appoints the Deputy Commissioners of Police and Assistant Commissioners of Police in Indore Urban Police District to be the Special Executive Magistrates to exercise the powers and functions under section 58, section 106 to 124, section 129 to 132, section 144 and section 144A of the Code till further orders.

SCHEDULE

Posts of Gazetted Officers for Indore Urban Police District

Sr no.	Designation	Rank	Pay Scale	Description	No of Posts
1.	Commissioner of Police	Inspector General of Police	Central Pay Matrix Level-14 (Rs 1,44,200-2,18,200)	Police Chief of the district	1
2.	Additional Commissioner of Police	Deputy Inspector General of Police	Central Pay Matrix Level-13A (Rs 1,31,100-2,16,600)	Law and Order	1
3.	Additional Commissioner of Police	Deputy Inspector General of Police	Central Pay Matrix Level-13A (Rs 1,31,100-2,16,600)	Crime and Headquarters	1
4.	Deputy Commissioner of Police	Superintendent of Police	Central Pay Matrix Level-12 (Rs. 78,800-2,09,200)	Zone	4
				Traffic	1
				Crime	1
				Headquarters	1
				Intelligence & Security	1
				Sub Total	**8**
5.	Additional Deputy Commissioner of Police	Additional Superintendent of Police	Central Pay Matrix Level-12 (Rs. 78,800-2,09,200)	Staff Officer	1
				Zone	4
				Traffic	2
				Crime	1
				Headquarters	1
				Intelligence	1
				Security	1
				AJK & CAW	1
				Sub Total	12
6.	Assistant Commissioner of Police	Deputy Superintendent of Police	State Pay Matrix Level-12 (Rs. 56,100-1,77,500)	Zone	12
				Traffic	4
				Crime	1
				Cyber	1
				Homicide	1
				Property and Economic Offences	1
				Police Line	1
				Headquarters and Training	1
				Data Analysis	1
				Judicial	2
				Intelligence	1
				Security	2
				AJK & CAW	2
				Sub Total	30
7.	Assistant Radio Officer	Deputy Superintendent of Police (Radio)	State Pay Matrix Level-12 (Rs. 56,100-1,77,500)	Headquarters	1

2. The hierarchy and jurisdiction of the officers of the zones is as given in the table below:

Zone	Designation	Designation	Designation	Police Station
1	Deputy Commissioner of Police Zone 1	Additional Deputy Commissioner of Police Zone 1	Assistant Commissioner of Police Malharganj	Malharganj
				Sadar Bazar
				Aerodrome
			Assistant Commissioner of Police Azad Nagar	Azad Nagar
				Tejaji Nagar
			Assistant Commissioner of Police Gandhi Nagar	Gandhi Nagar
				Rau
				Rajendra Nagar
2	Deputy Commissioner of Police Zone 2	Additional Deputy Commissioner of Police Zone 2	Assistant Commissioner of Police Pardeshipura	Pardeshipura
				MIG
			Assistant Commissioner of Police Vijay Nagar	Vijay Nagar
				Lasudiya
			Assistant Commissioner of Police Khajrana	Khajrana
				Kanadia
				Tilak Nagar
3	Deputy Commissioner of Police Zone 3	Additional Deputy Commissioner of Police Zone 3	Assistant Commissioner of Police Kotwali	Kotwali
				MG Road
				Tukoganj
			Assistant Commissioner of Police Sanyogitaganj	Sanyogitaganj
				Palasia
				Chhoti Gwaltoli
			Assistant Commissioner of Police Heera Nagar	Heera Nagar
				Banganga
4	Deputy Commissioner of Police Zone 4	Additional Deputy Commissioner of Police Zone 4	Assistant Commissioner of Police Juni indore	Juni Indore
				Raoji Bazar
				Bhanwarkua
			Assistant Commissioner of Police Annapurna	Annapurna
				Chandan Nagar
				Dwarkapuri
			Assistant Commissioner of Police Sarafa	Sarafa
				Pandrinath
				Chhatripura

3. This notification shall come into force with effect from 9th day of December, 2021

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश राजोरा, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2021

क्रमांक- एफ-73(IV)/2021/बी-2/दो, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 20 की उप–धारा (5) निम्नलिखित अनुसूची में अधिनियमों की सुसंगत धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-73(I)/2021/बी-2/दो, दिनांक 9 दिसम्बर, 2021 के अधीन यथाअधिसूचित इंदौर नगरीय के मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के संबंध में वर्णित अधिनियमों के प्रयोजनों हेतु पुलिस आयुक्त, इंदौर नगरीय को जिला मजिस्ट्रेट के समस्त कृत्यों को संपादित करने के लिए विनिर्दिष्ट करती हैं।

अनुसूची

(1) पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5)
(2) बंदी अधिनियम, 1900 (1900 का3)
(3) विष अधिनियम, 1919 (1919 का 12)
(4) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104)
(5) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)
(6) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37)
(7) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19)
(8) पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1)
(9) मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 (1991 का 4)

2. यह अधिसूचना दिनांक 9 दिसम्बर, 2021 से प्रवृत्त होगी।

No.F-73(IV)/2021/B-2/Two In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and relevant sections of the Acts mentioned in the Schedule below, the State Government, hereby, pleased to specify the Commissioner of Police, Indore Urban to discharge all the functions of District Magistrate for the purposes of the mentioned Acts in relation to the Metropolitan area of Indore Urban as notified under this department's Notification **No.F-73(II)/2021/B-2/Two** dated 9.12.2021, namely :-

SCHEDULE

1. The Police Act, 1861 (5 of 1861)
2. The Prisoners Act, 1900 (3 of 1900)
3. The Poisons Act, 1919 (12 of 1919)
4. The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956)
5. The Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988)
6. The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (3 of 1967)
7. The Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923)
8. The Cattle Trespass Act, 1871
9. The Madhya Pradesh Rajya Suraksha Adhiniyam, 1990 (No. 4 of 1990)

2. This notification shall come into force with effect from 9th day of December, 2021.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश राजोरा, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2021

क्रमांक-एफ-73(V)/2021/बी-2/दो पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस सम्बंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए इंदौर (देहात) ज़ोन का पुनर्निर्धारण करती है, अर्थात् :-

इंदौर (देहात) ज़ोन में निम्नलिखित ज़िले सम्मिलित होंगे –

पुलिस महानिरीक्षक इंदौर (देहात) ज़ोन	पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (देहात) रेंज	1. पुलिस ज़िला इंदौर देहात 2. ज़िला झाबुआ 3. ज़िला धार 4. ज़िला अलिराजपुर
	पुलिस उपमहानिरीक्षक खरगोन रेंज	1. ज़िला खण्डवा 2. ज़िला खरगोन 3. ज़िला बड़वानी 4. ज़िला बुरहानपुर

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

No.F-73(V)/2021/B-2/Two In exercise of the powers conferred by section 2 of the Police Act, 1861 (5 of 1861), and in supersession of earlier notifications issued in this behalf, the State Government, hereby, reconstitutes Indore (Rural) Zone as below:-

The Indore (Rural) Zone shall comprise of the following districts-

Inspector General of Police, Indore (Rural) Zone	Deputy Inspector General of Police, Indore (Rural) Range	1. Police district Indore Rural
		2. District Jhabua
		3. District Dhar
		4. District Alirajpur
	Deputy Inspector General of Police, Khargone Range	1. District Khandwa
		2. District Khargone
		3. District Badwani
		4. District Burhanpur

2. This notification shall come into force with from 9th day of December, 2021.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश राजोरा, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2021

क्रमांक- एफ-74(I)/2021/बी-2/दो,पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विद्यमान पुलिस जिले भोपाल उत्तर, भोपाल दक्षिण को पुनर्गठित करते हुए, पुलिस अधिनियम, 1861 के प्रयोजनों के लिए नीचे दी गई अनुसूची में यथा उल्लिखित निम्नलिखित पुलिस थानों से सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारिता के साथ दो पुलिस जिले भोपाल नगरीय (Bhopal Urban) और भोपाल देहात (Bhopal Rural) का गठन करते हैं, अर्थात्:-

अनुसूची

क्र.	पुलिस जिले का नाम	क्षेत्रीय अधिकारिता थाने	पुलिस प्रशासन का प्रमुख
1.	भोपाल नगरीय	1. कोतवाली, 2. तलैया, 3. श्यामला हिल्स, 4. शाहजहानांबाद, 5. कोहेफ़िज़ा, 6. टीला जमालपुरा, 7. हनुमानगंज, 8. मंगलवारा, 9. गौतम नगर, 10. निशातपुरा, 11. गांधीनगर, 12. छोला मंदिर, 13. बैरागढ़, 14. खजूरी सड़क, 15. टी.टी.नगर, 16. कमला नगर, 17. हबीबगंज, 18. शाहपुरा, 19. कोलार रोड, 20. जहाँगीराबाद, 21. ऐशबाग, 22. स्टेशन बजरिया, 23. गोविंदपुरा, 24. पिपलानी, 25. अशोका गार्डन, 26. मिसरोद, 27. बाग सेवनिया, 28. कटारा हिल्स, 29. अयोध्या नगर, 30. चूना भट्टी, 31. अवधपुरी, 32. रातीबड़ 33. महाराणाप्रताप नगर, 34. अरेरा हिल्स, 35. महिला, 36. अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, 37. यातायात, 38. अपराध	पुलिस अधीक्षक, भोपाल नगरीय पुलिस जिला
2.	भोपाल देहात (Bhopal Rural)	1. बैरसिया, 2. गुनगा, 3. नजीराबाद, 4. ईंटखेड़ी, 5. सूखी सेवनियाँ, 6. बिलखिरिया 7. परवलिया सड़क	पुलिस अधीक्षक, भोपाल देहांत पुलिस जिला

2. यह अधिसूचना नौ दिसम्बर, 2021 से प्रवृत्त होगी।

No.F-74(I)/2021/B-2/Two In exercise of the powers conferred by section 2 of the Police Act, 1861 (5 of 1861), the State Government, hereby, constitutes two police districts namely, Bhopal Urban and Bhopal Rural by reconstituting the existing Police districts of Bhopal North and Bhopal South having respective territorial jurisdictions of the following police stations as mentioned in the Schedule below for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

S. No.	Name of Police District	Name of Police Station		Head of the Police administration
1.	Bhopal Urban	1. Kotwali 2. Talaiya 3. Shyamla Hills 4. Shahjahanabad 5. Kohefiza 6. Tila Jamalpura 7. Hanumantganj 8. Mangalwara 9. Gautam Nagar 10. Nihsatpura 11. Gandhinagar 12. Chhola Mandir 13. Bairagarh 14. Khajuri Sadak 15. T.T.Nagar 16. Kamla Nagar 17. Habibganj 18. Shahpura 19. Kolar Road 20. Jahangirabad	21. Aishbag 22. Station Bajariya 23. Govindpura 24. Piplani 25. Ashoka Garden 26. Misroad 27. Bagh Sevaniya 28. Katara Hills 29. Ayodhya Nagar 30. Chuna Bhatti 31. Awadhpuri 32. Ratibad 33. Maharana Pratap Nagar 34. Arera Hills 35. Mahila 36. AJK 37. Traffic 38. Crime	Superintendent of Police, Bhopal Urban Police, District
2.	Bhopal Rural	1. Bairasiya 2. Gunga 3. Nazirabad 4. Ettkhedi 5. Sukhi Sevaniya 6. Bilkhiriya 7. Parvaliya Sadak		Superintendent of Police Bhopal Rural Police, District

2. This notification shall come into force with effect from 9th day of December, 2021.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश राजोरा, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2021

क्रमांक- एफ-74(II)/2021/बी-2/दो, यतः, राज्य सरकार ने 38(अड़तीस) थानों में पड़ रहे राज्यीय क्षेत्रों तथा सीमाओं को समाविष्ट करते हुए भोपाल नगरीय पुलिस जिले का गठन किया है जैसा कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-74(I)/2021/बी-2/दो दिनांक 9 दिसम्बर, 2021 की अनुसूची में पूर्णतः वर्णित है;

2. और यतः भोपाल नगरीय पुलिस जिला में उपर्युक्त पुलिस थानों के उपर्युक्त क्षेत्रों एवं सीमाओं जैसा कि उक्त अधिसूचना की अनुसूची में पूर्णतः वर्णित है, एक नगरीय क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या 18, 86,100 (जनगणना 2011) है, जो 10 लाख से अधिक है;

3. अतएव, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों को भोपाल नगरीय पुलिस जिले के पुलिस आयुक्त के गठन के प्रयोजनों के लिये मेट्रोपोलिटन क्षेत्र घोषित करती है।

4. यह अधिसूचना नौ दिसम्बर, 2021 से प्रवृत्त होगी।

No.F-74(II)/2021/B-2/Two Whereas, the State Government has constituted Bhopal Urban Police District comprising of the territorial areas and boundaries falling within 38 Police Stations as fully described in the Schedule of this Department's Notification **No.F-74(I)/2021/B-2/Two** dated 9.12.2021;

2. And whereas, the said areas and boundaries of the said Police Stations in the Bhopal Urban Police District as fully described in the Schedule of the said notification being a town area having a population of 18,86,100 (census 2011), which exceeds one million;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the State Government, hereby, declares the areas described in the Schedule of the said notification to be a metropolitan area for the purpose of constitution of Police Commissionerate in Bhopal Urban Police District.

4. This notification shall come into force with effect from 9th day of December, 2021.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश राजोरा, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2021

क्रमांक-एफ-74(III)/2021/बी-2/दो यतः, राज्य सरकार ने इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-74(I)/2021/बी-2/दो दिनांक 09.12.2021 की अनूसूची में पूर्णतः वर्णित क्षेत्रों एवं सीमाओं को समाविष्ट करते हुए, ऐसी सीमाओं के अन्दर प्रभावी पुलिस के कामकाज हेतु, भोपाल नगरीय पुलिस जिले का गठन किया है;

और यतः राज्य सरकार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 8 की उपधारा (1) के प्रयोजन हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-74(II)/2021/बी-2/दो दिनांक 09.12.2021 के अनुसार उपर्युक्त क्षेत्रों एवं सीमाओं को मेट्रोपोलिटन क्षेत्र भी घोषित किया है;

और यतः यह समीचीन समझा गया है कि उपर्युक्त मेट्रोपोलिटन क्षेत्र जैसा कि घोषित किया गया है, में ऐसी पुलिस प्रणाली को स्थापित किया जाये जो कि लोक व्यवस्था, अपराध तथा आंतरिक सुरक्षा की जटिल समस्याओं को अधिक व्यापक रूप से प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो;

और यतः उपर्युक्त उद्देश्य एवं प्रयोजन के अनुरूप, आगे यह समीचीन समझा गया है कि भोपाल के मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में पुलिस का प्रशासन पुलिस आयुक्त भोपाल नगरीय पदाभिहित अधिकारी, पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) की शक्तियों एवं प्राधिकारों के साथ भोपाल के पूरे उपर्युक्त मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में एक पदाभिहित अधिकारी में निहित किया जाये;

अतएव, पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, भोपाल नगरीय पुलिस ज़िले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय को पुलिस आयुक्त भोपाल नगरीय कार्यालय के रूप में निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित अधिकारियों के साथ, पुनः-पदाभिहित करती है और उपर्युक्त पुलिस आयुक्त भोपाल नगरीय में पुलिस अधिनियम, 1861 अथवा अन्य किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत, पुलिस आयुक्त की शक्तियों एवं प्राधिकारों को, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक तथा महानिरीक्षक के सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन, निहित करती है;

और इसके अतिरिक्त, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के सम्बन्ध में, भोपाल नगरीय के पुलिस आयुक्त, को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों और धारा 20 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसे संहिता की धारा 58, 106 से 124, 129 से 132 धारा 144 तथा 144क के अधीन शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करती है;

और इसके अतिरिक्त, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, भोपाल नगरीय पुलिस ज़िले में पदस्थ पुलिस उपायुक्तों एवं पुलिस सहायक आयुक्तों को उनके अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है और आगामी आदेश तक उनको संहिता की धारा 58, धारा 106 से 124, धारा 129 से 132, धारा 144 तथा धारा 144क के अन्तर्गत शक्तियाँ एवं कृत्य प्रदान करती है।

अनुसूची
भोपाल नगरीय पुलिस ज़िले के लिए राजपत्रित अधिकारियों के पद

क्र.	पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	विवरण	पद संख्या
1.	पुलिस आयुक्त	पुलिस महा निरीक्षक	केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-14 (रु.1,44,200-2,18,200)	ज़िले का पुलिस प्रमुख	1
2.	अतिरिक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस उप महा निरीक्षक	केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-13A (रु.1,31,100-2,16,600)	क़ानून और व्यवस्था	1
3.	अतिरिक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस उप महा निरीक्षक	केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-13A (रु.1,31,100-2,16,600)	अपराध व मुख्यालय	1
4.	पुलिस उपायुक्त	पुलिस अधीक्षक	केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (रु.78,800-2,09,200)	ज़ोन	4
				यातायात	1
				अपराध	1
				मुख्यालय	1
				आसूचना व सुरक्षा	1
				योग	8
5.	अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (रु. 78,800-2,09,200)	स्टाफ़ अधिकारी	1
				ज़ोन	4
				यातायात	2
				अपराध	1
				मुख्यालय	1
				आसूचना	1
				सुरक्षा	1
				अजाक व महिला अपराध	1
				योग	12
6.	सहायक पुलिस आयुक्त	पुलिस उप अधीक्षक	राज्य वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (रु. 56,100-1,77,500)	ज़ोन	12
				यातायात	4
				अपराध	1
				सायबर	1
				मानववध	1
				सम्पत्ति व आर्थिक अपराध	1
				पुलिस लाइन	1
				मुख्यालय व प्रशिक्षण	1
				डाटा विश्लेषण	1
				न्यायालयीन	2
				आसूचना	1
				सुरक्षा	2
				अजाक व महिला अपराध	2
				योग	30
7.	सहायक रेडियो अधिकारी	पुलिस उप अधीक्षक (रेडियो)	राज्य वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (रु. 56,100-1,77,500)	मुख्यालय	1

2. जोन के अधिकारियों का अधिक्रम एवं अधिकारिता दी गई तालिका अनुसार होगी:-

जोन	पद	पद	पद	थाना
1	पुलिस उपायुक्त जोन 1	अतिरिक्तपुलिस उपायुक्त जोन 1	सहायक पुलिस आयुक्त टीटी नगर	टीटी नगर
				कमला नगर
				रातीबड़
			सहायक पुलिस आयुक्त जहांगीराबाद	जहांगीराबाद
				ऐशबाग
				स्टेशन बजरिया
			सहायक पुलिस आयुक्त हबीबगंज	हबीबगंज
				शाहपुरा
				अशोका गार्डन
2	पुलिस उपायुक्त जोन 2	अतिरिक्तपुलिस उपायुक्त जोन 2	सहायक पुलिस आयुक्त गोविंदपुरा	गोविंदपुरा
				पिपलानी
				अवधपुरी
			सहायक पुलिस आयुक्त एमपी नगर	एमपी नगर
				अरेरा हिल्स
				अयोध्या नगर
			सहायक पुलिस आयुक्त मिसरोद	मिसरोद
				कटारा हिल्स
				बागसेवनिया
3	पुलिस उपायुक्त जोन 3	अतिरिक्तपुलिस उपायुक्त जोन 3	सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली	कोतवाली
				तलैया
				श्यामला हिल्स
			सहायक पुलिस आयुक्त शाहजहांनावाद	शाहजहांनावाद
				टीला जमालपुरा
				कोहेफिजा
			सहायक पुलिस आयुक्त हनुमानगंज	हनुमानगंज
				गौतम नगर
				मंगलवारा
4	पुलिस उपायुक्त जोन 4	अतिरिक्तपुलिस उपायुक्त जोन 4	सहायक पुलिस आयुक्त निशातपुरा	निशातपुरा
				छोला मंदिर
				गांधी नगर
			सहायक पुलिस आयुक्त बैरागढ़	बैरागढ़
				खजूरीसड़क
			सहायक पुलिस आयुक्त चूना भट्टी	चूना भट्टी
				कोलार

3. यह अधिसूचना नौ दिसम्बर, 2021 से प्रवृत्त होगी।

No.F-74(III)/2021/B-2/Two Whereas the State Government has constituted Bhopal Urban Police District consisting of the areas and boundaries fully described in the Schedule of this Department's notification **No.F-74(I)/2021/B-2/Two** Dated 9.12.2021 for effective working of the police within the limits so constituted;

And Whereas, the State Government has also declared the said areas and boundaries to be a metropolitan area for the purposes of the sub-section (1) of section 8 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) vide this Department's notification **No.F-74(II)/2021/B-2/Two** dated 9.12.2021;

And Whereas, it is felt expedient to establish such a police system in the said metropolitan area so declared which is capable of responding to the complex problems of public order, crime and internal security in a more comprehensive way;

And Whereas, in consonance with the said objective and purpose, further it is felt expedient to vest the administration of police in metropolitan area of Bhopal in an officer to be styled the Commissioner of Police, Bhopal Urban, a designated officer with the powers and authorities throughout the said metropolitan area of Bhopal under the Police Act, 1861 (5 of 1861);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the Police Act, 1861 (5 of 1861), the State Government, hereby, re-designates the office of Superintendent of Police of Bhopal Urban Police District, as office of the Commissioner of Police, Bhopal Urban with the officers mentioned in Schedule below and vests in the said Commissioner of Police, Bhopal Urban, the powers and authorities of the Commissioner of Police under the Police Act, 1861 or under any other Act, under the general control and supervision of the Director General and Inspector General of Police, Madhya Pradesh;

And further, in exercise of the powers conferred by section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the State Government, hereby, confers the powers of the Executive Magistrate on the Commissioner of Police Bhopal Urban in relation to that metropolitan area and in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 20 further appoints him as Additional District Magistrates to exercise powers and functions under Section 58, 106 to 124, section 129 to 132, section 144 and 144A of the Code;

And further, in exercise of powers conferred by section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the State Government, hereby, appoints the Deputy Commissioners of Police and Assistant Commissioners of Police in Bhopal Urban Police District to be the Special Executive Magistrates to exercise the powers and functions under section 58, section 106 to 124, section 129 to 132, section 144 and section 144A of the Code till further orders.

SCHEDULE

Posts of Gazetted Officers for Bhopal Urban Police District

Sr. no.	Designation	Rank	Pay Scale	Description	No of Posts
1.	Commissioner of Police	Inspector General of Police	Central Pay Matrix Level-14 (Rs 1,44,200-2,18,200)	Police Chief of the district	1
2.	Additional Commissioner of Police	Deputy Inspector General of Police	Central Pay Matrix Level-13A (Rs 1,31,100-2,16,600)	Law and Order	1
3.	Additional Commissioner of Police	Deputy Inspector General of Police	Central Pay Matrix Level-13A (Rs 1,31,100-2,16,600)	Crime and Headquarters	1
4.	Deputy Commissioner of Police	Superintendent of Police	Central Pay Matrix Level-12 (Rs. 78,800-2,09,200)	Zone	4
				Traffic	1
				Crime	1
				Headquarters	1
				Intelligence & Security	1
				Sub Total	**8**
5.	Additional Deputy Commissioner of Police	Additional Superintendent of Police	Central Pay Matrix Level-12 (Rs. 78,800-2,09,200)	Staff Officer	1
				Zone	4
				Traffic	2
				Crime	1
				Headquarters	1
				Intelligence	1
				Security	1
				AJK & CAW	1
				Sub Total	**12**
6.	Assistant Commissioner of Police	Deputy Superintendent of Police	State Pay Matrix Level-12 (Rs. 56,100-1,77,500)	Zone	12
				Traffic	4
				Crime	1
				Cyber	1
				Homicide	1
				Property and Economic Offences	1
				Police Line	1
				Headquarters and Training	1
				Data Analysis	1
				Judicial	2
				Intelligence	1
				Security	2
				AJK & CAW	2
				Sub Total	**30**
7.	Assistant Radio Officer	Deputy Superintendent of Police (Radio)	State Pay Matrix Level-12 (Rs. 56,100-1,77,500)	Headquarters	1

2. The hierarchy and jurisdiction of the officers of the zones is as given in the table below:

Zone	Designation	Designation	Designation	Police Station
1	Deputy Commissioner of Police Zone 1	Additional Deputy Commissioner of Police Zone 1	Assistant Commissioner of Police TT Nagar	TT Nagar
				Kamla Nagar
				Ratibad
			Assistant Commissioner of Police Jahangirabad	Jahangirabad
				Aishbagh
				Station Bajaria
			Assistant Commissioner of Police Habibganj	Habibganj
				Shahpura
				Ashoka Garden
2	Deputy Commissioner of Police Zone 2	Additional Deputy Commissioner of Police Zone 2	Assistant Commissioner of Police Govindpura	Govindpura
				Piplani
				Awadhpuri
			Assistant Commissioner of Police MP Nagar	MP Nagar
				Arera Hills
				Ayodhya Nagar
			Assistant Commissioner of Police Misrod	Misrod
				Katara Hills
				Baghsewania
3	Deputy Commissioner of Police Zone 3	Additional Deputy Commissioner of Police Zone 3	Assistant Commissioner of Police Kotwali	Kotwali
				Talaiya
				Shyamla Hills
			Assistant Commissioner of Police Shahjahanabad	Shahjahanabad
				Tila Jamalpura
				Kohefiza
			Assistant Commissioner of Police Hanumanganj	Hanumanganj
				Gautam Nagar
				Mangalwara
4	Deputy Commissioner of Police Zone 4	Additional Deputy Commissioner of Police Zone 4	Assistant Commissioner of Police Nishatpura	Nishatpura
				Chhola Mandir
				Gandhi Nagar
			Assistant Commissioner of Police Bairagarh	Bairagarh
				Khajuri Sadak
			Assistant Commissioner of Police Chuna Bhatti	Chuna Bhatti
				Kolar

3. This notification shall come into force with effect from 9th day of December, 2021.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश राजोरा, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2021

क्रमांक-एफ-74(IV)/2021/बी-2/दो, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 20 की उप-धारा (5) निम्नलिखित अनुसूची में अधिनियमों की सुसंगत धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भोपाल नगरीय के मेट्रोपोलिटन क्षेत्र, जैसा कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-74(II)/2021/बी-2/दो, दिनांक 09.12.2021 में घोषित किया गया है, में वर्णित अधिनियमों के प्रयोजनों हेतु पुलिस आयुक्त, भोपाल नगरीय को जिला मजिस्ट्रेट के समस्त कृत्यों को संपादित करने के लिए विनिर्दिष्ट करती हैं।

अनुसूची

(1) पुलिसअधिनियम, 1861 (1861 का 5)
(2) बंदी अधिनियम, 1900 (1900 का 3)
(3) विष अधिनियम, 1919 (1919 का 12)
(4) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104)
(5) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)
(6) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37)
(7) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19)
(8) पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 65)
(9) मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 (1991 का 4)

2. यह अधिसूचना दिनांक 9 दिसम्बर, 2021 से प्रवृत्त होगी।

No.F-74(IV)/2021/B-2/Two In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and relevant sections of the Acts mentioned in the Schedule below, the State Government, hereby, specify the Commissioner of Police, Bhopal Urban to discharge all the functions of District Magistrate for the purposes of the mentioned Acts in relation to the Metropolitan area of Bhopal Urban as notified under this department's Notification **No.F-74(II)/2021/B-2/Two** dated 9.12.2021.

SCHEDULE

1. The Police Act, 1861 (5 of 1861)
2. The Prisoners Act, 1900 (3 of 1900)
3. The Poisons Act, 1919 (12 of 1919)
4. The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956)
5. The Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988)
6. The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967)
7. The Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923)
8. The Cattle Trespass Act, 1871
9. The Madhya Pradesh Rajya Suraksha Adhiniyam, 1990 (No. 4 of 1991)

2. This notification shall come into force from 9th day of December, 2021.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश राजोरा, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2021

क्रमांक- एफ-74(V)/2021/बी-2/दो पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए एतदद्वारा, भोपाल (देहात) ज़ोन के कार्य क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करते हैं, अर्थात् :-

भोपाल (देहात) ज़ोन के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित जिले होंगे-

पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल (देहात) ज़ोन	पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल (देहात) रेंज	1. पुलिस जिला भोपाल देहात 2. जिला विदिशा 3. जिला राजगढ़ 4. जिला सीहोर

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

No.F-74(V)/2021/B-2/Two In exercise of the powers conferred by section 2 of the Police Act, 1861 (5 of 1861), and in supersession of earlier notifications issued in this behalf, the State Government, hereby, reconstitutes Bhopal (Rural) Zone as below:-

The Bhopal (Rural) Zone shall comprise of the following districts-

Inspector General of Police, Bhopal (Rural) Zone	Deputy Inspector General of Police, Bhopal (Rural) Range	1. Police district Bhopal Rural
		2. District Vidisha
		3. District Rajgarh
		4. District Sehore

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश राजोरा, अपर मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.